

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S. B. Civil Second Appeal No. 309/2005

17.12.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुदेश बंसल/मो0 आदिल
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री निखिल सिमलोत

प्रार्थना पत्र संख्या **93240/2018** अन्तर्गत धारा 151
सीपीसी बाबत् प्रत्यर्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 की तामील
पूर्ण माने जाने के क्रम में सुना गया।

दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण द्वारा इस तथ्य के क्रम में
सहमति प्रकट की गई कि उक्त प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता
श्री फिरोज अख्तर द्वारा वकालतनामा पेश किया जा चुका है तथा
उनका नाम प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से वाद सूची में अंकित किया जा
रहा है।

परिणामस्वरूप उक्त तथ्यों की रोशनी में उक्त प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है तथा प्रत्यर्थीगण संख्या 1/1 लगायत
1/5 की तामील पूर्ण मानी जाती है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति